[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 18/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ). जहॉ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहॉ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहॉ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अक्तूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अक्तूबर, 2018, जिसे दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत रिव्यू जांच शुरू की थी;

और जहां कि उक्त रिव्यू जांच के पूरा हो जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 जिसे दिनांक 01 अप्रैल, 2019, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था अपने अंतिम निष्कर्षों को जारी किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने उक्त निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी ।

और जहॉ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को दिए गए निर्णय में आदेश दिया है कि:

"1) इस प्रक्रिया के अंतर्गत विवादित अंतिम निष्कर्ष पर अगली सुनवाई की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए ।

2) दिनांक 09/10/2018 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का जो आदेश दिया गया था उससे प्रतिवादी अर्थात भारत संघ के द्वारा और आगे भी यथोचित अवधि तक बढ़ाया जाए जो कि दिनांक 09.04.2019 से एक महीने से कम न हो" ।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को आए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में अंक, अक्षर और शब्द "09 अप्रैल, 2019" के स्थान पर "09 मई, 2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. I))

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 09 अक्तूबर, 2018, को सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खड 3, उप खंड (i), के द्वारा संशोधन किया गया था ।